

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -दोवनी.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 359/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25

रिपोर्ट

क्र.सं..	नाम-ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	दोवनी	158	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्रामदोवनी..... प.ह..... दोवनी..... खालास 158..... में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावार	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार		पदेन सहायक कलक्टर कपासन सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

श्री चतुर्भुज पिता भेरु बैरवा सा. देह बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमाना

हस्ताक्षर पटवारी
हस्ताक्षर गिरदावार

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

तहसीलदार कपासन
02-10-25

जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)